150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सत्यमेव जयते

कोरोना
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 2983 दिनांकः 07 .04.2020

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसके मध्यनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में दिनांक 14.04.2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिले मे कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण करने हेतु इस कार्यालय क्रमांकः न्याय/2020/2579-2602 दिनांक 18.03.2020 एवं संशोधित आदेश 2796-2797 दिनांक 22.03.2020 तथा 2905 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा धारा 144 लागू की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले मे करवाये गये घर-घर सर्वे के बावजूद भी काफी संख्या में ऐसे व्यक्तियों का सर्वे से शेष रह जाना संभव है। जो नई दिल्ली निजामुद्दीन दरगाह मरकज से लौटे, कोरोना संक्रमित देशो तथा भारत के अन्य संक्रमित राज्यो अथवा राजस्थान के अन्य जिलों से दिनांक 01.01.2020 के बाद यात्रा कर लौटे है। जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने की सम्भावना है। जिले में अब तक कुल 05 प्रकरण सामने आये हैं।

अतः आदेशित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो निजामुद्दीन दरगाह मरकज में शरीक होकर लौटे है या कोरोना संक्रमित देशो तथा भारत के अन्य संक्रमित राज्यों अथवा राजस्थान के अन्य संक्रमित जिलों से आये है, वो दिनांक 09.04.2020 तक अपनी सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा दे।

यदि उक्त अवधि के पश्चात् यह जानकारी में आता है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जानबूझ कर अपनी उक्त जानकारी नही दी गई है अथवा तथ्यों को छिपाया गया है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 व भारतीय दण्ड प्रक्रिया की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन/मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही उक्त व्यक्तियों को शरण देने वाले तथा इनकी जानकारी प्रशासन से छुपाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भी उक्त अधिनियमों/धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन/मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

चूंकि विद्यमान परिस्थितयों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नही है। इस लिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को

Scanned by CamScanner

जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार-प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करवा दिया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक/न्याय/कोरोना/2020/ 2984-
दिनांक 07.04.2020

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. पुलिस अधीक्षक महोदय, दौसा ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा/महवा/सिकराय/बांदीकुई/लालसोट/नांगल राजावतान / रामगढ पचवारा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा ।
5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, दौसा।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय दौसा ।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
8. जिला आबकारी अधिकारी, दौसा।
9. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा।
10. सहायक खनि अभियन्ता दौसा।
11. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा।
12. श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा।
13. उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, दौसा
14. मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दौसा।
15. प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलेक्ट्रेट, दौसा।
16. आयुक्त, नगर परिषद दौसा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा
17. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण ....जिला दौसा
18. समस्त तहसीलदार ....जिला दौसा।
19. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी..................................जिला दौसा।
20. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, लालसोट/ बांदीकुई/ महवा।
21. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दौसा ।
22. अति. निजी सचिव जिला कलक्टर/निजी सहायक अति0 जिला कलक्टर, दौसा।
23. गार्ड फाईल।

जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Scanned by CamScanner